दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णीत: 16 सितंबर, 2013

ले.पे.अ. 677/2013

भारत संघ व अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री रुचिर मिश्रा, श्री संजीव के. सक्सेना एवं श्री रामनिक मिश्रा अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण

बनाम

ले.पे.अ. 678/2013

भारत संघ व अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री रुचिर मिश्रा, श्री संजीव के. सक्सेना एवं श्री रामनिक मिश्रा अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण

बनाम

चाबी रानी .....

प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट्ट

माननीय न्यायमूर्ति श्री नज्मी वज़ीरी

न्यायमूर्ति श्री नज्मी वज़ीरी

1. इन अपीलों में, अपीलकर्ता रि.या(सि.)/8032/2009 तथा रि.या.(सि.)/8090/2009 में दिनांक 13 मई, 2013 को पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के सामान्य आदेश (**"आक्षेपित आदेश"**) को अपास्त करने की मांग करता है। इन अपीलों में प्रत्यर्थी कर्मचारियों (सफल रिट याचिकाकर्ता) ने पेंशन हेतु पात्रता की मांग की थी, जैसा कि विश्व-भारती विश्वविद्यालय (**"प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय"**) के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध था, जिन्होंने लगातार दस साल की सेवा पूरी कर ली थी। प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2007 को जारी एक ज्ञापन के आधार पर विश्वविद्यालय के एईआरसी कर्मचारियों को दिनांक 20 दिसंबर, 2008 (**"आक्षेपित पत्र"**) के अपने पत्र/आदेश द्वारा पेंशन रोक दी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद उक्त अधिसूचना को अपास्त कर दिया था एवं अपीलार्थीगण को आवश्यक बजटीय आवंटन करने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को याचीगण को पेंशन लाभ के भुगतान के लिए वित्त-साधन मिले। इसी तरह, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को आदेश के तीन महीने के भीतर पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त निर्देशों से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने उपरोक्त अपीलें दायर की हैं।

2. तथ्य यह है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र (**"एईआरसी"**) की स्थापना वर्ष 1954 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत की गई थी तथा पिछले

कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में ऐसे पंद्रह केंद्र बन गये हैं। एईआरसी के उद्देश्य थे:

> *"(i) देश की निर्दिष्ट कृषि आर्थिक समस्याओं की जांच करना।*
>
> *(ii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निरंतर अध्ययन करना।*
>
> *(iii) संरचनात्मक परिवर्तनों और कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की मूलभूत समस्याओं पर शोध कार्य करना।*
>
> *(iv) केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तकनीकी सलाह (अपठनीयः सलाह) देना।"*

अनिवार्य रूप से, वे कृषि मंत्रालय के कार्यों को पूरक बना रहे थे। एईआरसी के प्रभावी कामकाज के लिए इसे आवश्यक मानते हुए, सरकार ने एईआरसी को उन संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जहां वे काम कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, शांतिनिकेतन में कार्यरत एईआरसी को दिनांक 23 मार्च, 2000 के एक समझौता ज्ञापन (**"एमओयू"**) द्वारा प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के साथ विलय कर दिया गया, लेकिन यह दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावी हुआ था।

3. प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ से वंचित किए जाने पर, उन्होंने रिट कार्यवाही में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपनी तार्किकता में, एमओयू में नियोजित स्पष्ट भाषा पर ध्यान दिया, विशेष रूप से जहाँ यह कहा गया था कि (क) "केंद्र को विश्वविद्यालय में एकीकृत किया जाएगा"; (ख) "मंत्रालय हर वर्ष अनुमोदित बजट प्रावधानों के

अनुसार सहायता अनुदान जारी करेगा"; (ग) "केंद्र के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सभी विशेषाधिकारों, अर्थात् पेंशन के लिए विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के बराबर माना जाएगा..."; एवं (घ) "केंद्र में पदों में वेतनमान, वेतन और भत्ते में भविष्य के संशोधन, विश्वविद्यालय में समान पदों के लिए प्रभावी प्रावधानों (अपठनीय) के अनुसार होंगे"। आक्षेपित निर्णय ने तर्क दिया कि एमओयू ने स्पष्ट रूप से एईआरसी के कर्मचारियों को प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बराबर रखा है, और वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि, आवासीय आवास और अन्य सेवा लाभों के संदर्भ में, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि भारत संघ ने नियमित वार्षिक बजटीय आवंटन के संदर्भ में इन कर्मचारियों के लिए पर्याप्त अनुदान सहायता प्रदान करने का वचन दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए भारत संघ के लिए विश्वविद्यालय के साथ बाद के पत्राचार के आधार पर अनुदान सहायता / बजटीय आवंटन से इनकार करना उचित नहीं था, उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन के लिए भुगतान करना उनकी नीतियों के विरुद्ध था, जिसका सीधा परिणाम दिनांक 23 दिसंबर, 2008 से याचीगण को पेंशन संबंधी लाभ से वंचित करना होगा।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि:

> *"...दिनांक 23.3.2000 के समझौता ज्ञापन के पठन से, जो दिनांक 1.4.1995 से प्रभावी हुआ, इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 1, बजटीय आवंटन को रोके बिना, समझौता ज्ञापन के अनुसार*

एईआरसी के कर्मचारियों के प्रत्यर्थी सं. 4-विश्वविद्यालय के कर्मचारी बनने के परिणामस्वरूप सभी अनुदान-सहायता/वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा। मुझे आश्चर्य है कि प्रत्यर्थी सं. 1 वास्तव में ऐसा रुख अपना रहा है जो समझौता ज्ञापन की भाषा का उल्लंघन करता है क्योंकि समझौता ज्ञापन के अक्षरशः और भावना दोनों में, प्रत्यर्थी सं. 4-विश्वविद्यालय को एईआरसी के कर्मचारियों के प्रत्यर्थी सं. 4-विश्वविद्यालय के कर्मचारी बनने के परिणामस्वरूप आवश्यक बजटीय आवंटन का अधिकार प्रदान करता है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, प्रत्यर्थी सं. 1/कृषि मंत्रालय के सचिव से कम किसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अतः मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 4 को आवश्यक बजट आवंटन के बारे में कोई संदेह कैसे हो सकता है। न केवल इस बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एईआरसी के कर्मचारियों के लिए हर साल आवश्यक बजटीय आवंटन दिया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी बन गए थे, बल्कि एमओयू में खंड (xii) के आधार पर वेतनमान तथा भत्तों के भविष्य के संशोधन के कारण अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता का भी ध्यान रखा गया है। अतः मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारत संघ दिनांक 21.5.1990 की अधिसूचना के आधार पर कैसे तर्क दे सकता है कि उक्त अधिसूचना के खंड (3) में कहा गया है कि एईआरसी को स्थायी बनाने के कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और व्यय का वर्तमान स्तर पार नहीं किया जाएगा। हालांकि दिनांक 21.5.1990 की अधिसूचना के पैरा (3) को निश्चित रूप से व्यय के स्तर को निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि निश्चित रूप से उचित वेतन संशोधन होने ही थे, किसी भी मामले में, जिस अधिसूचना पर भरोसा किया जाता है वह दिनांक 21.5.1990 की है और यह स्पष्ट रूप से दिनांक 23.3.2000 के बाद के एमओयू की स्पष्ट शर्तों से अलग है। अतः, भारत संघ के लिए यह तर्क देना और तर्क देना उचित नहीं है कि दिनांक 21.5.1990 की अधिसूचना के आधार पर बजटीय आवंटन तय रहेगा, तथा जो मेरी राय में स्पष्ट रूप से दिनांक 23.3.2000 के एमओयू के लागू होने के बाद लागू नहीं था।

तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि:

"प्रत्यर्थी सं. 4 के कर्मचारी होने के नाते और प्रत्यर्थी सं. 4 के नियमों/विनियमों/परिपत्रों के अनुसार याचीगण के पास विधिक अधिकार

हैं। याचीगण को पेंशन देने से इनकार करना मनमाना है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा आवश्यक बजटीय आवंटन देने से इनकार करना भी मनमाना है, इसलिए समझौता ज्ञापन की स्पष्ट भाषा को देखते हुए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। याचीगण के पास लागू करने योग्य विधिक अधिकार हैं जिनका उल्लंघन किया गया है।"

5. इस अपील में, वही तर्क दोहराए गए जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिए गए थे। यह भी प्रतिविरोध किया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *डॉ. राजेंद्र सिंह बनाम कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व अन्य* के मामले में, सि.वि.रि.या. सं. 6801/2002 में, दिनांक 22 फरवरी, 2007 को निर्णय दिया था, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध एईआरसी के सदस्यों द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विरुद्ध मांगी गई समान राहत के दावे को खारिज कर दिया था। *डॉ. राजेंद्र सिंह* मामले के आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश को इसी प्रकार रिट याचिका को खारिज कर देना चाहिए था तथा प्रत्यर्थी कर्मचारियों को किसी भी पेंशन लाभ का हकदार नहीं मानना चाहिए था। इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने *डॉ. राजेंद्र सिंह* के तथ्यों को वर्तमान मामले से अलग किया और पाया कि यह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। *डॉ. राजेंद्र सिंह* मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समझौता ज्ञापन की शर्तों और/या पत्राचार के आधार पर माना था कि "पेंशन लाभ के संबंध में एईआरसी कर्मचारियों से किए गए किसी भी वादे या प्रतिनिधित्व को इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस पर कार्रवाई करने का इरादा था"।

तदनुसार उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने समझौता ज्ञापन की भाषा को याचीगण के पक्ष में निर्णयात्मक एवं स्पष्ट रूप से पाया था - विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के समान व्यवहार किए जाने के अधिकार का दावा करते हुए। उन्होंने पाया कि आक्षेपित पत्र मनमाना है तथा याचीगण के लागू करने योग्य विधिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

6. इस न्यायालय ने अपीलार्थीगण की तर्कों पर विचार किया है तथा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया है। एमओयू में प्रयुक्त भाषा दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है तथा इसके इरादे और आयात के संबंध में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से था कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय से जुड़े एईआरसी के कर्मचारियों को उक्त विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए तथा उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए एवं इन नए विलय किए गए कर्मचारियों को सभी लाभ उपलब्ध होंगे, जो कर्मचारियों के बड़े समूह में प्रवेश कर रहे हैं। एमओयू में प्रयुक्त भाषा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से भारत संघ की मंशा सामने आएगी कि पहले एईआरसी के कर्मचारियों का विलय और एकीकरण किया जाए तथा उन्हें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बराबर रखा जाए। अपने आप ऐसा करने के बाद, अपीलार्थीगण को बाद में उन्हें अस्वीकार करने या उन्हें पेंशन लाभ से वंचित करने से रोक दिया जाएगा, जो अन्यथा एमओयू के तहत गारंटीकृत थे।

यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि उक्त कर्मचारी समझौता ज्ञापन में पक्ष नहीं थे, फिर भी वर्ष 1995 से उन्हें दिए गए लाभों को तेरह वर्ष बाद वर्ष 2008 में एकतरफा वापस नहीं लिया जा सकता या उन्हें देने से मना नहीं किया जा सकता है। एईआरसी के कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के प्रति जिम्मेदारी सरकार एवं प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के बीच इस आश्वासन पर बाद में हस्तांतरित करके तय की गई थी कि पूर्व में जिम्मेदारी और प्रासंगिक आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान एवं पर्याप्त वार्षिक बजटीय आवंटन दिया जाएगा। कर्मचारियों से ऐसी जिम्मेदारी में बदलाव के लिए कभी भी परामर्श नहीं किया गया। वे इस तथ्य से संतुष्ट थे कि उनके रोजगार की शर्तों को उनके नुकसान के लिए नहीं बदला गया था और वास्तव में सुधार किया गया था। इसे अब उनके नुकसान के लिए एकतरफा रूप से नहीं बदला जा सकता है। आक्षेपित आदेश के अनुसार लाभों को वापस लेना उन्हें मझधार में छोड़ना और वास्तव में छल करके उन्हें अस्वीकार करना होगा। यह कार्य अस्वीकार्य एवं अनुचित होगा एवं इसे अभिखंडित करने का हकदार होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठीक यही किया था।

7. उपरोक्त कारणों से यह न्यायालय अपीलों में कोई गुणागुण नहीं पाता है। दोनों याचिकायें खारिज की जाती हैं।

नज्मी वज़ीरी
(न्यायाधीश)

एस. रवींद्र भट्ट
(न्यायाधीश)

16 सितंबर, 2013
'एसएन'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*